मनी लॉन्ड्रिंग के लिये म्यूल अकाउंट

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

हाल ही में केंद्रीय **गृह मंत्रालय ने** मनी लॉन्ड्रिंग के लिये म्यूल बैंक अकाउंट का उपयोग करके **अंतर्राष्ट्रीय** साइबर अपराधियों द्वारा स्थापित **अवैध** भुगतान गेटवे जैसे पीसपे, RTX पे आदि के बारे में अलर्ट जारी किया है।

- म्यूल अकाउंट एक बैंक खाता है जिसका उपयोग **अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक** बनाने के लिये किया जाता है।
  - मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो किसी **अन्य व्यक्ति की ओर** से **अवैध रूप से अर्जित धन को स्थानांतरित करता है।**
- बहुराष्ट्रीय साइबर अपराधी शेल कंपनियों और व्यक्तियों के खातों का उपयोग **म्यूल अकाउंट** के रूप में करते हैं, तथा बैंकों द्वारा दी जाने वाली **थोक भुगतान सुविधा** का लाभ उठाते हैं।
  - **शेल कंपनी** वह कंपनी होती है **जिसका कोई सक्रिय व्यावसायिक परिचालन** या महत्त्वपूर्ण परिसंपत्ति **नहीं** होती।
  - ये **सभी आवश्यक रूप से अवैध नहीं हैं**, लेकिन इनका उपयोग कानून प्रवर्तन या जनता से **व्यवसाय स्वामित्व को छिपाने** के लिये **अवैध रूप** से किया जा सकता है।
- बैंकों द्वारा दी जाने वाली **थोक भुगतान सुविधा** व्यवसायों और संगठनों को **एक ही लेनदेन** में विभिन्न लाभार्थियों को **कई भुगतान करने की अनुमति** देती है।

//

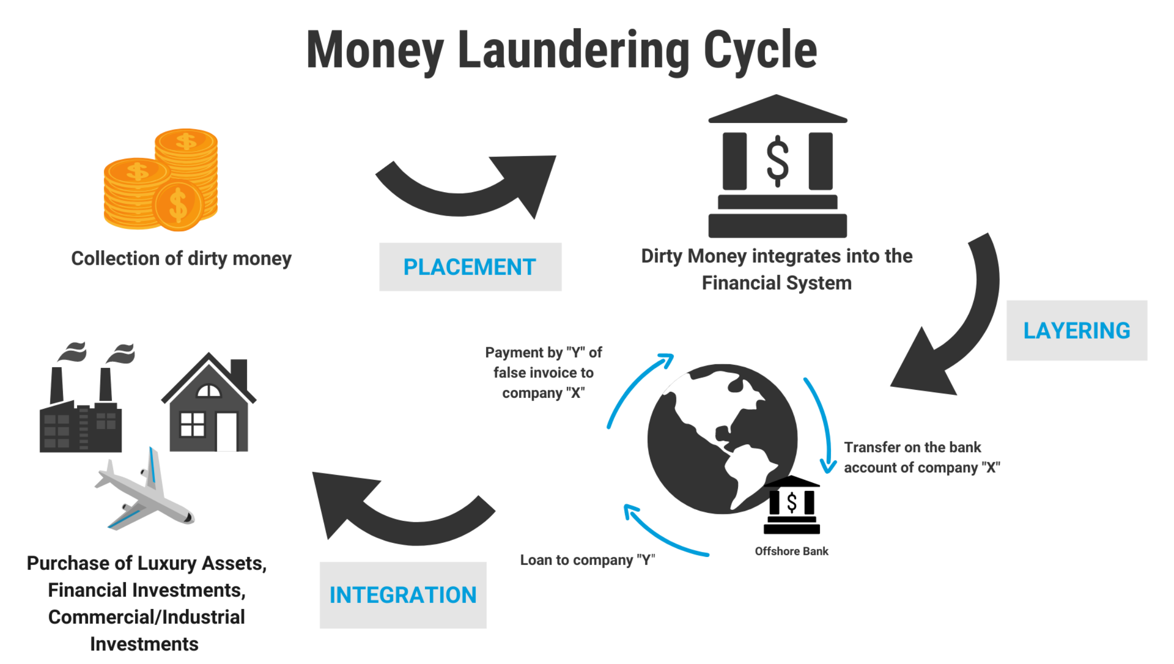

और पढ़ें: मनी लॉन्ड्रिंग

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mule-accounts-for-money-laundering